अधीक्षक का कार्यालय,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ।

<u>निविदा सूचना</u>

वर्ष २०१७-१८ में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अन्र्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्रीयों एवं फल एवं सब्जियों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से २१ (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं६- ूण्चतकइपींतण्हवअण्पद एवं पी६एम६सी६एच६ के वेब साइट सं६- ूण्चउबीण्पद पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से निविदा शर्त्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है।

अधीक्षक
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

अधीक्षक का कार्यालय,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

<u>निविदा सूचना</u>

वर्ष २०१७-१८ में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अर्न्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्रीयों एवं फल एवं सब्जियों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से २१ (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता /प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं६- ूण्चतकइपींतण्हवअण्पद एवं पी६एम६सी६एच६ के वेब साइट सं६- ूण्चउबीण्पद पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से निविदा शर्त्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है।

<u>निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची</u> :-

१. निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी एवं वित्तीय । दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे।

२. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा।

३. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य कर से प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

४. सभी निविदादाता को फुड लाईसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (थ्ैै।प्) २००६ के तहत् अद्ययत्तन लाईसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

५. आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता को निमार्ता द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र संलग्न करना होगा एवं निर्माता का फुड लाईसेंस एवं उद्योग विभाग से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन भी संलग्न करना होगा।

६. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उन्हें फुड हैन्डलिंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

७. अग्रधन के रूप में ५०,०००/- (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/एन६एस६सी६ जो अधीक्षक, पी६एम६सी६एच६, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।

८. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

९. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग ले सकते है।

१०. निविदादाता को संबंधित निविदा के लिए किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आशय का शपथ पत्र (मूल रूप में) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माहध्यम से प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना होगा।

उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है।

११. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर अंकित करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा।

१२. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

१३. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

१४. दर अनुमोदित के पश्चात् सामानों की आपूर्ति पथ्य शाखा, पी६एम६सी६एच६, पटना में करने हेतु अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और उन्हें रसोई घर में सुबह ७ बजे सामान आपूर्ति करना होगा।

१५. निविदा में अनुमोदित आकार एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्थिक दण्ड किया जायेगा।

१६. खाद्य सामग्रीयों निविदा छः माह एवं फल/सब्जियों की निविदा तीन माह या अगली निविदा निर्णय होने तक लागू रहेगी।

१७. पथ्य आपूर्ति का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

१८. पार्ट । एवं पार्ट ठ का एक ही निविदा होगा तथा दोनों के लिए अग्रधन एक ही होगा।

<u>पार्ट । . खाद्य सामग्री</u>

१.	पांव रोटी(ब्राण्डेड)	-	२०० ग्राम एवं १५० ग्राम पैक - प्रति पैकेट की दर से।
२.	चावल (उसना उत्तम क्वालिटी का)- प्रति किलो की दर से।		
३.	दाल	-	मुंग, मसूर एवं अरहर - प्रति किलो की दर से।
४.	चना लाल (खड़ा)	-	प्रति किलो की दर से।
५.	गेहूँ का आटा	-	प्रति किलो की दर से।
६.	सोयाबीन	-	प्रति किलो की दर से।
७.	राजमा	-	प्रति किलो की दर से।
८.	गुड़	-	प्रति किलो की दर से।
६.	चीनी	-	प्रति किलो की दर से।
१०.	सरसों तेल (बाडेड यथा मास्टर/ स्कुटर/ईजन/पक्षी/धारा)	-	प्रति किलो की दर से।
११.	धनिया पाउडर	-	प्रति किलो की दर से।
१२.	हल्दी पाउडर	-	प्रति किलो की दर से।
१३.	जीरा पाउडर	-	प्रति किलो की दर से।
१४.	गोलकी पाउडर	-	प्रति किलो की दर से।
१५.	लाल मिर्च पाउडर	-	प्रति किलो की दर से।
१६.	नमक आयोडीन	-	प्रति किलो की दर से।
१७.	मुर्गी का अण्डा	-	४० ग्राम से ४५ ग्राम प्रति पीस की दर से (कच्चा एवं उबाला हुआ) अथवा किलो

१८. दही एवं पनीर - १००ग्राम/२००ग्राम सादा एवं मीठा(डिस्पोजेबल पैक) सुधा या समकक्ष।

१६. छेना का रसगुल्ला - २पीस/४पीस प्रति पीस २५ से ३० ग्राम(सील पैक) सुधा या समकक्ष।

२०. मांस खस्सी - प्रति किलो की दर से।

२१. मछली(वचवा/रेवा) - प्रति किलो की दर से।(सिर्फ छोटी मछली)

२२. लहसुन - प्रति किलो की दर से।

२३. सुधा डेयरी दूध (स्मार्ट) - २०० m.l./५०० m.l./1 लीटर की दर से।

२४. लाल मिर्च खड़ा - प्रति किलो की दर से।

२५. वटर मिल्क(छाँछ/मट्ठा) - २०० उस सुधा या समकक्ष (डिस्पोजेबल पैक) नमकीन/मीठा।

२६. सूजी - प्रति किलो की दर से।

२७. साबुदाना - प्रति किलो की दर से।

२८. चाय पत्ती (ब्रांडेड) - प्रति किलो की दर से (सील पैक)।

२६. बिस्कुट मीठा (ब्रांडेड) - ५०-५५ ग्राम (सील पैक)।

३०. बिस्कुट नमकीन (ब्रांडेड) - ५०-५५ ग्राम या ७०-७५ ग्राम (सील पैक)।

३१. मखन (सुधा/अमुल्य या समकक्ष) - १० ग्राम/२० ग्राम सील्ड

३२. पीली सरसों - प्रति किलो

३३. बेसन - प्रति किलो

३४. चूडा - प्रति किलो

३५. कुकीग गैस (इडियन ऑयल/हिन्दुस्तान पेट्रौलियम) - प्रति सिलिडर

पार्ट ठ . फल एवं सब्जियाँ

१.	आलू	-	प्रति किलो की दर से
२.	प्याज	-	,,
३.	टमाटर	-	,,
४.	परवल	-	,,
५.	कद्दू	-	,,
६.	नेनुआ	-	,,
७.	फूलगोभी	-	,,
८.	बन्धागोभी	-	,,
६.	पालक साग	-	,,
१०.	लाल साग	-	,,
११.	सलजम	-	,,
१२.	भिन्डी	-	,,
१३.	बैंगन	-	,,

१४.	नारंगी	-	१८ से६मी६ से २१ से६मी६ गोलाई-प्रति किलो - उत्तम क्वालिटी
१५.	मोसम्मी	-	१८ से६मी६ से २१ से६मी६ गोलाई- प्रति किलो - उत्तम क्वालिटी
१६.	सेब कश्मीरी एवं हिमाचल	-	१८ से६मी६ से २१ से६मी६ गोलाई-प्रति किलो - उत्तम क्वालिटी
१७.	आम (सिपिया/मालदह)	-	१८ से६मी६ से २१ से६मी६ गोलाई- प्रति किलो उत्तम क्वालिटी
१८.	हरा मिर्च	-	प्रति किलो की दर से
१६.	आदी	-	,,
२०.	बोरो	-	,,
२१.	सीम	-	,,
२२.	करैला	-	,,
२३.	कच्चा केला	-	प्रति दर्जन की दर से - उत्तम क्वालिटी
२४.	कागजी नींबू	-	प्रति दर्जन की दर से - उत्तम क्वालिटी
२५.	केला चीनिया	-	८ से १० से६मी६/ लम्बाई-प्रति दर्जन - उत्तम क्वालिटी
२६.	हरा छाल केला	-	१० से १२ से६मी६ लम्बाई-प्रति दर्जन - उत्तम क्वालिटी
२७.	गाजर	-	प्रति किलो
२८.	वीट (चुकुन्दर)	-	प्रति किलो
२६.	फरसबीम	-	प्रति किलो

अधीक्षक
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।